रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 1994/कार्तिक 19, 1916 (शक)
No. 464] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 1994/KARTIKA 19, 1916 (SAKA)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1994

सा०का०नि० 804(अ) :—लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम (4) की धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) के खंड 2 की धारा (2) की उपधारा (ख) के प्रयोजन हेतु सरकारी प्रतिभूति जिसका भुगतान किश्तों में किया जाता है का प्रपत्र निम्नानुसार होगा, अर्थात् :—

"प्रपत्र

भारत सरकार

का अंकित स्टाक

"----------प्रतिशत 8 वर्षीय सरकारी स्टाक 2002 जिसका भुगतान किश्तों में जाता है।"

खाता ऋण प्रमाण-पत्र सं.----------

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि----------

----------प्रतिशत, सरकारी स्टाक----------

जिसका भुगतान किश्तों में किया जाता है और जिसका नामिनल मूल्य----------रुपए है, का पंजीकृत स्वामी हैं और यहां पृष्ठांकित की गई स्टाक की धनराशि अदा कर दी गई है।

किश्तों में अदा की जाने वाली धनराशि	अदायगी की देय तारीख	प्रदत्त मूल्य	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)
आवंटन पर धनराशि	15 नवम्बर, 1994	----------रुपए	----------
दूसरी किश्त	15 दिसम्बर, 1994	----------रुपए	----------
तीसरी किश्त	16 जनवरी, 1995	----------रुपए	----------
अंतिम किश्त	15 फरवरी, 1995	----------रुपए	----------

(प्राधिकृत अधिकारी)

उपर्युक्त देय तारीखों पर भुगतान न किए जाने पर (क) इस स्टाक का पूरा प्रदत्त मूल्य जब्त कर लिया जाएगा, और (ख) स्टाक रद्द कर दिया जाएगा।

सरकारी स्टाक का ब्याज---------प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा जो स्टाक के जारी होने की तारीख से स्टाक के प्रदत्त मूल्य पर छमाही तौर पर देय होगा तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 4 (4) डब्ल्यू एंड एम/94 दिनांक 10-11-1994 के अनुसार अदा किया जाएगा।

लोक ऋण कार्यालय

भारतीय रिजर्व बैंक

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

दिनांक

कृते प्रबन्धक

पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय नहीं होगा। अंकित स्टाक संबंधी विवरण हेतु प्रमाण-पत्र के पृष्ठ भाग अवलोकन करें।

पृष्ठ भाग

लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरूअनन्तपुरम और भुवनेश्वर में पंजीकृत भारत सरकार के ऋण के अंकित स्टाक (खाता ऋण) संबंधी विवरण।

1. स्टाक संबंधी प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन द्वारा परक्राम्य नहीं है और हस्तांतरण विलेख (डीड) द्वारा ही किया जाएगा। यह हस्तांतरण स्टाम्प शुल्क रहित होते हैं।

2. इस प्रयोजन हेतु लोक ऋण नियमावली, 1946 (जो लोक ऋण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है) के तहत विहित एक कोरे हस्तांतरण विलेख का प्रयोग किया जाए। इसका निष्पादन स्वामी अथवा उसके अभिवक्ता द्वारा किया जाएगा और अभिवक्ता द्वारा किए जाने पर इसके साथ बिक्री के अधिकार का प्रलेख हो जिस पर उचित रूप से मुहर लगी हो।

3. बिक्री के मामले में इस प्रमाण-पत्र को या तो लोक ऋण कार्यालय में या उस राजकोष में जमा किया जाना चाहिए जहां ब्याज की अदायगी की जानी हो। जिस मामले में स्टाक के केवल किसी एक भाग का हस्तांतरण किया जाएगा वहां क्रेता हस्तांतरित धनराशि का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और हस्तांतरणकर्ता शेष धनराशि संबंधी एक नया प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

4. उप प्रभागीय मामलों को छोड़कर स्टाक संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उप प्रभाग के संबंध में जारी किए गए प्रत्येक नए स्टाक प्रमाण-पत्र के लिए शुल्क अधिकतम 1/- रुपए सहित 25 पैसे प्रति सैकड़ा देय होगा।

5. उस लोक ऋण कार्यालय में स्टाक प्रमाण-पत्र जमा करके जिसके खातों में हस्तांतरण किया जाना वांछनीय हो, स्टाक, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरूअनंतपुरम और भुवनेश्वर के बीच हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

6. स्टाक पर लिया जाने वाला ब्याज लोक ऋण कार्यालय द्वारा स्टाक प्रमाण-पत्र की किसी पूर्व निविदा के बिना जारी किए गए अधिपत्रों (वारण्ट्स) द्वारा अदा किया जाता है और जिसका भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, नागपुर, पटना, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, तिरूअनन्तपुरम और भुवनेश्वर स्थित स्थानीय कार्यालय में किया जा सकता है। स्टाक प्रमाण-पत्र धारक के लोक ऋण कार्यालय में लिखित रूप से किए जाने वाले अनुरोध पर अधिपत्रों का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा अथवा इसके कोष के लेन-देन का संचालन करने वाली किसी संबद्ध शाखा अथवा भारत के किसी राजकोष अथवा उप राजकोष में किया जा सकेगा। यदि धारक चाहे तो कमीशन प्रभार की कटौती करने के बाद ब्याज का भुगतान धनादेश द्वारा भी किया जा सकेगा।

7. ब्याज की अदायगी की देय तारीख से एक दिन पहले अधिपत्र (वारण्ट) लोक ऋण कार्यालय, (बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरुअनन्तपुरम और भुवनेश्वर) से डाक द्वारा मालिक को उसके पंजीकृत पते पर अथवा मान्यताप्राप्त बैंक अथवा एजेंट को यदि मालिक ने संबंधित लोक ऋण कार्यालय को लिखित रूप में ऐसा करने के लिए अनुरोध किया हो, भेजे जाएंगे। (उपरोक्त लिखित अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाए जिसकी प्रति लोक ऋण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।)

8. ब्याज की देय तारीख से एक मास पूर्व ही लोक ऋण कार्यालय के स्टाक संबंधी खाते बंद कर दिए जाएंगे ताकि संतोलन करके ब्याज अधिपत्र (वारण्ट) तैयार किए जा सकें। खाता बंद करने की तारीख के बाद कोई स्टाक भेजे जाने पर उस स्टाक को "अधिपत्र वाह्य" स्टाक के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

9. इसमें ऊपर मद सं. 7 में उल्लिखित अनुरोध प्रपत्र खातों के बंद होने की देय तारीख से पहले लोक ऋण कार्यालय में अवश्य पहुंच जाने चाहिए । उसमें दिए गए अनुदेशों का तब तक पालन किया जाएगा जब तक कि उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता । यदि अनुरोध समय प्रपत्र पर नहीं भेजे जाते तो अधिपत्र यथासंभव शीघ्र भेज दिए जाएंगे लेकिन लोक ऋण कार्यालय इन अधिपत्रों को भुगतान की तारीख से पूर्व प्रेषित करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा ।

10. जिन स्टाक मालिकों को अधिपत्र भेजे जाते हैं यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना लोक ऋण कार्यालय को तत्काल दें । यदि ऐसी कोई सूचना (जिसमें ऋण का ब्यौरा, स्टाक प्रमाण-पत्र की संख्या और धनराशि का उल्लेख अवश्य हो) लोक ऋण कार्यालय को ब्याज की देय तारीख से पूर्व के तीन दिनों तक नहीं मिलती तो लोक ऋण कार्यालय ब्याज की अदायगी होने तक इसको रिकार्ड कर लिए जाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ।

हस्तांतरण ज्ञापन

संस्था	हस्तांतरण की तारीख	हस्तांतरण कर्ता/हस्तांतरणकर्ताओं का नाम	सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी के आद्याक्षर हस्ताक्षर

राष्ट्रपति के आदेश से
[फा. सं. 4(4) डब्ल्यू एंड एम/94]
एन. पी. आगची, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
Notification
New Delhi, the 10th November, 1994

GSR 804(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946, the Central Government hereby specifies that the following shall be the form of Government security for which the payment is made in instalments for the purpose of sub-clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), namely :—

"FORM
GOVERNMENT OF INDIA
INSCRIBED STOCKS
OF THE

"————————per cent 8 year tenor Government Stock 2002 for which payment is made in instalments"

BOOK DEBT CERTIFICATE NO.————————

I hereby certify that————————is the registered proprietor of————per cent Government Stock————————for which payment is made in instalments of nominal value of Rs.————and that the amount endorsed hereon has been paid up on the stock.

Amount payable in instalments	Due date of Payments	Paid up value (Rs.)	Signature
1	2	3	4
Amount on allotment	15th November, 1994	Rs. ————	————
2nd instalment	15th December, 1994	Rs. ————	————
3rd instalment	16th January, 1995	Rs. ————	————
Final instalment	15th February, 1995	Rs. ————	————
			(Authorised official)

Default in payment of instalments on aforesaid due dates shall cause,—(a) forefeiture of the entire paid-up value of this stock; and (b) cancellation of the stock.

The Government Stock will bear interest at————per cent, per annum payable half yearly on the paid up value of the Stock from the date of issue of the Stock and would be payable in accordance with the Notification No. 4(4) W&M/94 dated 10-11-1994

issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)

Public Debt Office — Governor, Reserve Bank of India

Reserve Bank of India

Date — for Manager

Not transferable by endorsement. For details regarding Inscribed Stock see reverse of the Certificate.

REVERSE

Details regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Government of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1. Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of Stamp duty.

2. A separate blank transfer deed as prescribed under Public Debt Rules, 1946 (obtainable from Public Debt Office) may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3. In the case of sale, this Certificate must be surrendered either at the public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the stock is transferred, the purchaser will receive a certificate for the amount transferred and the transferor a new certificate for the balance.

4. No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-division. A fee of 25 paise per cent with a maximum of rupee one is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5. Stocks may be transferred between Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt office to whose books it is desired to be transferred.

6. Interest on stock is paid by warrants issued by the Public Debt office without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Nagpur, Patna, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thirvananthapuram and Bhunaneswar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock Certificate, to be preferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desires, interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7. On the day before the due date of payment of interest, warrants will be sent out by post from the Public Debt Office (Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thirvananthapuram and Bhubaneswar) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recognised Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, copy of which may be obtained from the public Debt Office.)

8. The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred "ex-warrant".

9. Request forms as mentioned in item 7 hereinabove must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If request forms are not lodged in time, the warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before warrant is payable.

10. Any change in the address of the proprietor to whom the warrants are sent should be communicated at once to the Public Debt Office. When any such communication (which must contains particulars of the loan, number and amount of Stock Certificate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials/Signature of Assistant Accounts officer/Accounts officer

By order of the President of India
[F.No. 4(4) W&M/94]
N.P. BAGCHEE, Additional Secretary (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995